



333

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० निगरानी - एक / 16

निगा 2757-2/16

श्रीमती राजकुमारी पत्नी हरदयाल काछी  
निवासी ग्राम खैरा, तहसील पलेरा, जिला  
टीकमगढ़, म०प्र०

श्रीमती राजकुमारी पत्नी हरदयाल काछी  
द्वारा आज दि. 16/8/16 को

.....आवेदिका

वका  
16-8-16

विरुद्ध

1-रामप्रसाद तनय रामसहाय कुशवाह

2-सरजूलाल तनय मुलू कुशवाह

निवासीगण ग्राम खैरा, तहसील पलेरा,

जिला टीकमगढ़, म०प्र०

3-मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक  
23.06.2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्र०क्र०  
27/स्वमेव निगा०/2015-16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, आवेदिका के स्वत्व स्वाभित्व की भूमि खसरा नम्बर 418 जुज पर  
आवेदिका का कब्जा है, उसके पूर्व आवेदिका के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है,

*[Handwritten mark]*

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— २

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2757-एक/2016 जिला टीकमगढ़ राजकुमारी विरूद्ध रामप्रसाद व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़के प्रकरण क्रमांक 27/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

*Signature*

*Signature*

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

*hpm*  
(अस.के.जेन) 21/01/19  
सदस्य